रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230215
CG-DL-E-07102021-230215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3807] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
No. 3807] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2021

सं. 35/2015–2020

विषयः– रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति में छूट के संबंध में।

का.आ. 4141(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 की क्रम सं. 188 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

"आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 के अध्याय 44 की क्रम सं. 188 के कॉलम 5 में यथानिर्धारित निर्यात नीति में ओडिशा राज्य में परलाखेमुंडी वन डिवीजन से चक्रवात के कारण लठ्ठों के रूप में गिरे हुए 810.1894 मी.टन रेड सैन्डर्स वुड के निर्यात को अनुमति प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी।

2. दिनांक 06.08.2021 और दिनांक 21.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन ई.एफ. सं. 5–10/2019 एसयू (पार्ट) द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिश पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा

सरकार को एतद्द्वारा लठ्ठों के रूप में 810.1894 मी.टन रेड सैन्डर्स वुड का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओड़िशा सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर संबंधित मात्रा के निर्यात हेतु तौर–तरीके को अंतिम रूप प्रदान करेगी।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार को लठ्ठों के रूप में 810.1894 मी.टन रेड सैन्डर्स वुड के निर्यात के लिए लठ्ठों के रूप में रेड सैंडर्स वुड के निर्यात पर रोक में छूट प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/91/110/008/एएम–21/ईसी/ई–22128]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2021

No. 35 /2015-2020

Subject: Relaxation in Export Policy of Red Sanders Wood - regarding

S.O. 4141(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the S.No 188, Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018:

'The export policy as stipulated in Column 5 against S.No 188 of Chapter 44 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 shall be relaxed to allow export of 810.1894 MT of red Sanders Wood in the form of log fallen due to cyclone from Paralakhemundi Forest Division in the state of Odisha".

2. On the recommendation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide O.M. E.F.No.5-10/2019-SU (Pt.) dated 06.08.2021 and dated 21.09.2021, Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha is hereby permitted to export 810.1894 MT Red Sanders Wood in log form.

3. Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha shall finalize the modalities for export of the respective quantity within 12 months from the date of issuance of this notification.

4. Effect of this Notification:

Prohibition on export of Red Sanders wood in log form has been relaxed for export of 810.1894 MT of Red Sanders wood in log form by Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha.

[F.No. 01/91/110/008/AM21/EC /E-22128]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.07 22:33:49 +05'30'